[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उपधारा (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) संशोधन नियम, 2021 है ।
(2) ये तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में, "सुरक्षा शुल्क" शब्द के स्थान पर "सुरक्षा उपाय" शब्द रखा जाएगा ।

3. उक्त नियम में,नियम 2 में –

(क) खंड (ख) में, शब्द "शुल्क" शब्द के स्थान पर , "उपाय" शब्द रखा जाएगा;
(ख) खंड (घ) के उपखंड (i) में, "शुल्क" शब्द के स्थान पर, "उपाय" शब्द रखा जाएगा;
(ग) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
'(च) "अनंतिम उपाय" से अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित अनंतिम सुरक्षा उपाय अभिप्रेत है;' ;
(घ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(चक) "सुरक्षा उपाय" से अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित सुरक्षा शुल्क, या कोई टैरिफ दर कोटा या ऐसे अन्य उपाय, अभिप्रेत है;';
(ड.) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(छक) "डब्ल्यूटीओ" से विश्व व्यापार संगठन अभिप्रेत है;';

4. उक्त नियम के, नियम 3 में, दोनों स्थानों पर आने वाले "सुरक्षा" शब्द के स्थान पर "व्यापार उपचार" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियम के नियम 4 में-

(क) खंड (2) में, "शुल्क" शब्द के स्थान पर "उपाय" शब्द रखा जाएगा ;
(ख) खंड (4) में:-
(i) दोनों स्थानों पर आने वाले "शुल्क" शब्द के स्थान पर "उपाय" शब्द रखा जाएगा ;
(ii) उपखंड (ii) में "सकारात्मक" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (5) में "शुल्क" शब्द के स्थान पर "उपाय" शब्द रखा जाएगा ।

6. उक्त नियम के नियम 5 में,-

(i) उपनियम (2) में खंड (ख) में "सकारात्मक" शब्द का लोप किया जाएगा;
(ii) उक्त नियम (4) में "सीमा शुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "यथास्थित प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क" शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियम में, नियम 6 में, उपनियम (1) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) निर्यातक देशों, अंतवर्लित वस्तु और आयात की मात्रा के नाम;"।

8. उक्त नियम में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"8 **गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का विनिर्धारण** -महानिदेशक घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का विनिर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात्:-

(i) अन्वेषण में यह अवधारित करने के लिए कि वर्धित आयात में किसी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है या कारित होने की आशंका है, महा-निदेशक उस उद्योग की अवस्थिति पर उसके आचरण की प्रकृति के लिए उद्देश्य और अनुमान्य सभी सुसंगत कारकों का मूल्यांकन करेगा, विशिष्ट तथा संबद्ध वस्तु के आयात में आत्यांतिक या आपेक्षिक रूप में वृद्धि की दर और रकम,वर्धित आयात द्वारा लिए गए घरेलू बाजार के शेयर, विक्रय, उत्पादन, उत्पादकता, उपयोग क्षमता, लाभ और हानि तथा नियोजन के स्तर में परिवर्तन ;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट अवधारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अन्वेषण वस्तुविष्ट साक्ष्य के आधार पर संबद्ध वस्तु के वर्धित आयात और गंभीर क्षति या उसकी आशंका के बीच आकस्मिक संबद्धता विद्यमान होने का प्रदर्शन नहीं करता है । जब घरेलू उद्योग को उसी समय वर्धित आयात से भिन्न कारक क्षति कारित कर रहे हों, तब ऐसी क्षति वर्धित आयात से होनी नहीं मानी जाएगी । ऐसी दशाओं में महा-निदेशक ऐसी शिकायत को प्रतिपाटन या प्रतिशुल्क अन्वेषणों के लिए यथा समुचित प्राधिकारों को निर्देशित कर सकेगा ।"।

9. उक्त नियम में, नियम 10 में,-

(i) "शुल्क" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "उपाय" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (5)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

10. उक्त नियम में, नियम 11 में,-

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्न उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) (क) महानिदेशक उपाय की सीमा से संबंधित सिफारिश भी करेगा जो, यदि उद्गृहीत की गई है, गंभीर क्षति का निवारण करने या उपचार करने के लिए और समायोजन को सुकर बनाने के लिए समुचित होगा;

(ख) टैरिफ दर कोटे का स्तर, यदि उपाय के रूप में अधिरोपित किया जाता है, निम्न शर्तों के अध्यधीन निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) प्रतिनिधिक अवधि के परे वस्तु के पारंपरिक व्यापार प्रवाह को बनाए रखना;

(ii) देश में विद्यमान और संभावी मांग आपूर्ति के परिदृश्य; और

(iii) अन्य कोई शर्त जिसे सुसंगत माना जाए:

परंतु लागू टैरिफ दर कोटा आयात की मात्रा को वर्तमान अवधि के उस स्तर से कम नहीं करेगा जो पिछले तीन वर्षों के आयात, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, का औसत होगा जब तक कि गंभीर क्षति के निवारण करने या उपचार करने के लिए भिन्न स्तर आवश्यक न हो;

(ग) टैरिफ दर कोटा वैश्विक या देशीय विनिर्दिष्ट हो सकेगा ;

(घ) विनिर्दिष्ट टैरिफ दर कोटा देशों को प्रतिनिधि अवधि के दौरान देश में संबंधित वस्तु के आयात के भाग के अनुपात पर विचार करते हुए सारभूत हित के साथ और ऐसे सभी सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए जो उस वस्तु में किए गए व्यापार को प्रभावित कर सके या ऐसी संभाव्यता हो, आबंटित किया जा सकेगा;

(ड.) ऐसे मामले में जहां टैरिफ दर कोटा किसी देश के लिए विनिर्दिष्ट हो, वहां अन्य सभी देशों के लिए अवशिष्ट टैरिफ दर कोटा उपबंधित किया जाएगा और यदि विनिर्दिष्ट टैरिफ कोटे वाले देश अपने विनिर्दिष्ट टैरिफ दर कोटा का पूर्ण उपयोग कर लेते हैं, तो वे देश उपलब्ध अवशिष्ट टैरिफ दर कोटे का उपयोग कर सकेंगे ;

(च) किसी अप्रयुक्त टैरिफ दर कोटा को आगे बढ़ाया जा सकेगा और पश्चातवर्ती अवधि के लिए टैरिफ दर कोटे में जोड़ा जा सकता है ।";

(ii) उपधारा (3) में,-

(क) "शुल्क" शब्द के स्थान पर "उपाय" शब्द रखा जाएगा

(ख) परंतुक में "सकारात्मक" शब्द का लोप किया जाएगा ।

11. उक्त नियम के , नियम 12 में, "शुल्क " जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर, "उपाय" शब्द रखा जाएगा ।

12. उक्त नियम के नियम 13 में, -

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले "शुल्क" शब्द के स्थान पर "उपाय" शब्द रखा जाएगा ।

(ii) एक परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु ऐसा कोई भी उपाय किसी भी ऐसी वस्तु, जिसकी उत्पत्ति किसी विकासशील देश में हुई है, पर लागू नहीं होगा जब तक कि उस देश की वस्तुओं के आयात का अंश तीन प्रतिशत से अधिक न हो या जहां वह वस्तु एक से अधिक विकासशील देशों में उत्पन्न हो रही हो, तो जब तक कि ऐसे प्रत्येक विकासशील देशों से जिनसे आयात का अंश तीन प्रतिशत से कम है, उनसे कुल आयात भारत में उस वस्तु के कुल आयात के 9 प्रतिशत से अधिक न हो ।"।

13. उक्त नियम के, नियम 14 में, "शुल्क" जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर, "उपाय" शब्द पढ़ा जाएगा ।

14. उक्त नियम के, नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"15. **शुल्क का प्रतिदाय**- यदि अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् शुल्क के रूप में अधिरोपित सुराक्षोपाय, पहले से अधिरोपित और संगृहीत शुल्क के रूप में अनंतिम उपाय से कम है, तो आयातक को उसके अंतर का प्रतिदाय किया जाएगा ।

15. उक्त नियम के, नियम 16 में –

(i) "शुल्क" शब्द जहां वे आते हैं, के स्थान पर "उपाय" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपनियम (1) में "सकारात्मक" शब्द का लोप किया जाएगा ।

16. उक्त नियम के, नियम 17 में, "शुल्क", जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर "उपाय" शब्द रखा जाएगा ।

17. उक्त नियम के, नियम 18 में, -

(i) "शुल्क", जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर "उपाय" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपनियम (1) में, खंड (i) में, "निश्चित रूप से" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) उपनयिम (1) के पश्चात्, निम्न उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) महानिदेशक किसी भी उपांतरण के लिए टैरिफ दर कोटा के प्रयोग और क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।";

(iv) उपनियम (2) में, "उपनियम (1)" शब्दों, कोष्ठकों औंर अंकों के पश्चात्, "या उपनियम (1क)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

18. उक्त नियम में, नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"19. **अधिसूचना और परामर्श**-(1) केन्द्रीय सरकार, सुरक्षा उपाय पर डब्ल्यूटीओ करार के अधीन अपेक्षित सभी कार्रवाइयां डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित करेगी ।

(2) सुरक्षा उपाय अधिरोपित किए जाने के पूर्व, डब्ल्यूटीओ के उन सदस्यों के साथ, जो संबंधित उत्पाद के निर्यातकों के रूप में सारभूत हित रखते हैं, परामर्श करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा ।"।

19. उक्त नियम में, उपाबंध का लोप किया जाएगा ।

(फा.सं. 334/02/2021-टीआरयू)

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 35/1997-सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 29 जुलाई, 1997 को सा. का.नि. सं.428(अ), तारीख 29 जुलाई, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।